बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 11/2014–15

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नामः– पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कटिहार के राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अंकेक्षण।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधिः– वर्ष 97–98 से 12–13 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नामः– गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :– पुलिस उप महानिरीक्षक ~~दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा~~ पूर्णिया। (नाम एवं कार्यकाल अप्राप्त)

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम पदनाम, कार्यकाल :–

(1) श्री निरज सिन्हा, पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 11.4.96 से 08.4.97 तक

(2) श्री राम चन्द्र राम, पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 08.04.97 से 28.02.98 तक

(3) श्री उमेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 06.03.98 से 28.04.99 तक

4) श्री राम नन्दन प्रसाद, पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 28.04.99 से 07.01.2000 तक

5) श्री राम लखन प्रसाद, पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 7.1.2000 से 25.11.2000 तक

6) श्री विनय कुमार, पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 01.12.2000 से 08.05.2003 तक

7) श्री रविन्द्र संकरण, पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 12.5.2003 से 21.12.03 तक

8) श्री अमित कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 22.12.2003 से 23.07.2005 तक

9) श्री जगलाल चौधरी, पुलिस अधीक्षक, दि0– 01.08.2005 से 22.09.2005 तक

10) श्री प्रविण वशिष्ट, पुलिस अधीक्षक, दि0– 23.09.2005 से 04.11.2005 तक

11) श्री मनोहर प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 5.11.05 से 11.4.2007 तक

12) श्री अनिल किशोर यादव, पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 22.04.07 से 28.07.09 तक

13) श्री डॉ0 जी0 पी0 सिन्हा, पुलिस अधीक्षक, दि0– 31.07.2009 से 21.04.2010 तक

14) श्री पी0 कानन, पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 07.05.2010 से 12.02.2011 तक

15) श्री सुजित कुमार, पुलिस अधीक्षक, दि0– 14.02.11 से 27.03.2012 तक

16) श्री ललन मोहन प्रसाद, पुलिस अधीक्षक, दि0– 28.03.12 से 15.7.12 तक

17) श्री मती किम, पुलिस अधीक्षक, दि0– 20.07.12 से 29.03.2012 तक

18) श्री असगर ईमाम, पुलिस अधीक्षक, दि0– 29.03.2012 से ।

19) श्री क्षत्रमिल सिंह, पुलिस अधीक्षक, दि0———————— से अद्यतन

20) श्री उपेन्द्र प्रसाद स्वर्णकार, लेखापाल, दि0– 01.04.1997 से 2.02.2002 तक

21) श्री गेन्घाटी दूबे, लेखापाल, दि0– 01.04.2000 से 17.02.2004 तक

22) श्री उपेन्द्र प्रसाद स्र्वणकार लेखापाल, दि0– 17.02.2004 से 12.04.2006 तक

23) श्री सकल दीप सिंह, लेखापाल, दि0– 13.04.2006 से 25.02.2008 तक

24) श्री सिंहासन पासवान, लेखापाल, दि0– 26.02.2008 से 15.12.2008 तक

25) श्री उपेन्द्र प्रसाद स्र्वणकार, लेखापाल, दि0– 10.12.2008 से 29.09.2009 तक

26) श्री सकल दीप सिंह, लेखापाल, दि0– 30.09.08 से 27.09.10 तक

27) श्री सिंघासन पासवान, लेखापाल, दि0– 01.10.2010 से 29.03.2013 तक

28) श्री रामेश्वर चौधरी, लेखापाल, दि0– 15.10.2011 से 29.3.2013 तक

29) श्री मती सीमा कुमारी, लेखापाल, दि0– 01.04.2012 से अद्यतन।

30) श्री के एम दास, प्रधान लिपिक, दि0– 01.04.97 से 31.03.2000 तक

31) श्री उपेन्द्र प्रसाद स्र्वणकार, प्रधान लिपिक, दि0– 01.02.2000 से 08.08.2002 तक

32) श्री अली अख्तर, प्रधान लिपिक, दि0– 01.01.2012 से 31.07.12 तक

33) श्री सिंघासन पासवान, प्रधान लिपिक, दि0– 5.8.2012 से 30.04.13 तक

34) श्री शिव शंकर प्रसाद सिंह, प्रधान लिपिक, दि0– 01.05.2013 से 30.10.13 तक

35) श्री सिंघासन पासवान, प्रधान लिपिक, दि0– 01.11.13 से 31.05.14 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी / कर्मचारी का नाम, एवं पदनामः–	(1) श्री सिंघासन पासवान, प्रधान लिपिक, (2) श्री मती सीमा कुमारी, लेखापाल, (3) श्री एस. एस. पी. कश्यप, प्र0 परिचारी प्रवर
(छ) अंकेक्षकों के नाम :–	(1) श्री अरविन्द कुमार सिंह, व0अं0–02 (2) श्री भोला नाथ मंडल, व0अं0–2 (3) श्री अरूण कुमार, व0 अं0–2
(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि	19.02.2014 एवं पुनः 05.09.2014
(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि :–	11.03.14 पुनः 27.11.2014
(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस	30 दिन औसत
(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूचीः–	– अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (क) पर अंकित है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

(i) अंकेक्षण का प्रकार :– सिर्फ राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सामान्य अंकेक्षण।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश सं0 एवं तिथि :– वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 6 दिनांक–22.01.2014 तथा ज्ञापांक 61 दिनांक 01.07.2014 एवं ज्ञापांक–63 दिनांक – 03.07.14 के आदेशानुसार एवं विभागीय ज्ञापांक – 3286 दिनांक – 15.06.60 आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, कटिहार के विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों (आय) एवं जमा (कोषागार में) एवं जमा (कोषागार में) का जाँच कार्य किया गया।

(iii) कार्यालय का कार्य क्षेत्र :–

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, का मौलिक कार्य आम जनता को सुरक्षा प्रदान करना तथा अपराध का रोक थाम एवं नियंत्रण करना, अपराधियों को पकड़ना तथा जन शिकायत की समस्या को सुलझाना।

(iv) वित्तीय स्त्रोत

राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः चार स्त्रोत है।

1. अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति की प्रतिपूर्ति द्वारा।
2. विभिन्न बैंकों संस्थानों में मार्गदर्शिका के रूप में प्रतिनियुक्ति के विरूद्ध प्राप्त राशि।
3. दखल देहानी

4. निलामी से प्राप्त राजस्व मुख्यतः स्त्रोत है।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :–

कोषागार अभिलेख कम्प्यूटर तथा राजस्व जमा संबंधित चालान का कार्यालय प्रति, रेमिटांस रजिस्टर की सहायता से कोषागार द्वारा उपलब्ध कराने गये अभिलेखों से (97–98 से 01–02) छोड़ कर शत् – प्रतिशत् किया गया एवं सही पाया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे इसकी स्थिति अप्राप्त।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :–

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन बार–बार मांग की गई लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया। मौखिक अनुपालन में बताया गया कि वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन नहीं है। शायद यह पहला अंकेक्षण है।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(i) अंकेक्षित अवधि वर्ष – 1997–98 एवं 2012–13 तक राजस्व बही (आर0 सी0) एवं रोकड़ पुस्त एवं रोकड़ पुस्त संधारित, सुरक्षा बलों के प्रतिनियोजन पर होने वाले व्यय में प्रतिपूर्ति योग्य पुलिस राजस्व देय प्राप्त आय–व्यय (जमा) विवरणी परिशिष्ट ''ख'' पर अंकित है।

गृह आरक्षी विभागीय पत्रांक 2/बी0 एम0 101/91 गृ0 आरक्षी 2329 दिनांक 6. 3.2003 की कंडिका 2 में निहित सरकार के नीतिगत र्निणय के अनुसार समेकित ए0 सी0 पी0

एम0 ए0 सी0 पी0 अधारित प्रतिपूर्ति हेतू समेकित दरों का र्निधारण नितिगत र्निणय के अनुरूप निर्धारण एवं संसूचित नहीं किया पाया गया। फलतः पुलिस राजस्व प्राप्ति योग्य की भारी क्षति हुई। साथ ही परिशिष्ट ''ख'' पर अंकित आय–व्यय (जमा) के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष मदों में प्राप्त राशियों को उक्त वर्ष में कोषागार में जमा कर दिया गया पाया गया तथा कुछ वित्तीय वर्षो में (01–02 से 03–04 तक) में पूर्व वित्तीय वर्षो के अपेक्षा कम राजस्व की प्राप्ति पाई गई जो अनियमित रूप से प्रतिनियुक्ति सुरक्षा कर्मी के विरूद्ध राशि जमा नहीं किये जाने के फलस्वरूप राजस्व की क्षति हुई। जो इस प्रतिवेदन के अन्य कंडिकाओं के रूप में उल्लेखित है तथा रोकड़ पंजी का संवरण शेष वर्षवार परिशिष्ट ''ग'' पर अंकित है। राजस्व से संबंधित मॉग संग्रहण एवं बकाया से संबंधित पंजी उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप संबंधित विवरणी संलग्न नहीं की जा सकीं। प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कि बकाया राजस्व की राशि की छान वीन अपने स्तर की वसूल किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों का विवरणी :–

अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों का विवरणी परिशिष्ट ''घ'' पर अंकित है।

भाग– 2

(4) मानवीय व्यक्तियों को जिला सुरक्षा समिति / सरकारी आदेश के द्वारा प्रतिनियुक्त अंगरक्षक के विरूद्ध प्रतिपूर्ति राशि कुल रू0 3776528.00 जमा नहीं करने के कारण वसूली योग्य :–

रोकड़ पुस्त के आय व्यय में राजस्व प्राप्तियों के राशियों एवं अन्य अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न वर्षो में सुरक्षा समिति द्वारा मानवीय व्यक्तियों को सुरक्षा हेतू उनके आवेदन के आधार पर जिला सुरक्षा समिति द्वारा सरकारी सुरक्षा अग्रिम भुगतान के आधार पर किया जाना था।

वर्ष 1997–98 से 12–13 के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 02–03, 03–04, 10–11 एवं 11–12 में माननीय व्यक्तियों पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री एवं अन्य को सुरक्षा हेतू अंगरक्षक उपलब्ध कराई गई थी, जिसकी विवरणी परिशिष्ट ''ड़'' पर अंकित है। लेकिन माननीय द्वारा कोई भी प्रतिनियुक्त सुरक्षाकर्मी के विरूद्ध प्रतिपूर्ति राशि जमा नहीं किया पाया गया, सुरक्षा समिति के आदेश में यह स्पष्ट निदेश नहीं है कि माननीय पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री एवं अन्य को निः शुल्क सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करनी है या भुगतान के आधार पर।

इस संबंध में उठाई गई आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक सं0 16434 पटना दिनांक 30.12.99 तदोपांत पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक 4581 एल–2 दिनांक 20.10.2001 के आलोक में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस

अधीक्षक कटिहार द्वारा संयुक्त बैठक के उपरांत निर्गत ज्ञापांक 2469/गो0 दिनांक 3.8.2000 के आधार पर निर्वतमान सांसद / विद्यायक / मंत्री इत्यादि से प्रतिपूर्ति राशि गैर वसूलनीय है। उपरोक्त पत्र 2469 / गो0 दिनांक 3.8.2000 मांग करने पर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराई गई तथा माननीय पूर्व विद्यायक / पूर्व सांसद / पूर्व मंत्री एवं अन्य के बारे में कोई भी आदेश (निः शुल्क संबंधी) नहीं दिखाई गई। अतः पूर्व माननीयों को निःशुल्क सुरक्षा से संबंधित कोई सरकारी पत्र नहीं होने / दिखलाये जाने के फलस्वरूप इसे भुगतान के आधार पर प्रतिनियुक्ति माना गया।

अतः बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक 2 / वी0 एम0 101/91 गृह आरक्षी 2321 दिनांक 6.3.2003 के अनुसार प्रतिपूर्ति दर पर प्रतिनियुक्ति अंगरक्षक की प्रतिपूर्ति राशि रूपये 3776528.00 संबंधित एवं जबाब देय व्यक्ति से वसूलकर कोषागार में जमा की जाए। वसूली के उपरांत वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराई जाए। साथ ही प्रशासी विभाग का ध्यान दोषी व्यक्तियों / कर्मियों / पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो के लिए ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

6. अनाधिकृत रूप से नियम के विरूद्ध विहित संख्या बल से अधिक सरकारी अंगरक्षक रखने के कारण र्निधारित प्रतिपूर्ति की राशि रूपये 2269755.00 वसूली योग्य :-

रोकड़ पुस्त एवं राजस्व प्राप्तियाँ के राशियों की जाँच में उपलब्ध कराये गये संचिका में पाया गया कि माननीय महानुभावों के सुरक्षा हेतू प्रतिनियुक्ति किये गये सुरक्षाकर्मी

को निर्धारित सीमा से अधिक सुरक्षा बल दिया गया तथा उस प्रतिनियुक्त अवधि का प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान भी नही पाया गया। जिसकी विवरणी परिशिष्ट ''च'' पर अंकित है।

बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक 2 / जी–01 एम0 104/95 गृह आरक्षी 3108 / पटना दिनांक 22.3.2006 के द्वारा निर्गत तिथि से एक अंगरक्षक अतिरिक्त एक यानि दो अंगरक्षक देय था। इसके पूर्व एक ही अंगरक्षक प्रत्येक मानवीय सदस्यों को उपलब्ध कराने का आदेश प्राप्त था। परन्तु दि0 22.03.2006 के पूर्व एक से अधिक अंगरक्षक प्रतिनियुक्त पाया गया। साथ ही बिहार पुलिस मैनूअल 1978 के नियम 517 (घ), 519, 520 एवं बिहार पुलिस एक्ट 1857 के सेक्सन 17 में दिये गये निदेश का पालन नहीं किया पाया गया।

उठाई गई आपत्ति में प्रतिनियुक्ति की अवधि के सत्यापन हेतू, प्रतिनियुक्त पंजी, कमान, मांग एवं भुगतान संबंधी अभिलेख बार–बार अनुरोध के बाबजूद उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही अनुपालन में बताया गया कि प्रतिनियुक्ति संबंधी संचिका पूरी तरह लड़ गया है जो अपठनीय है।

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 06 के पूर्व अनाधिकृत रूप से नियम के विरूद्ध विहित सं0 बल से अधिक सरकारी अंगरक्षक रखने के कारण निर्धारित प्रतिपूर्ति की राशि रूपये 2269755.00 की क्षति हुई जो संबंधित एवं जबाब देह व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा की जाए। इस संबंध में प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता कि भविष्य में नियम की अंदेखी न हो साथ ही नियम के अनुसार ही सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराई

जाए ताकि आनावश्यक रूप से तैनात सुरक्षाकर्मी की सेवा अन्य आवश्यक कानून एवं व्यवस्था में ली जा सके।

7. नियमानुकूल रद्दी टायर टूयूब की निलामी नहीं किया जाना रूपये 60,000.00 आपत्तिअन्तर्गत :-

नीलामी संबंधी संचिका के अवलोकन एवं जाँच में पाया गया कि वर्ष 11-12 में प्रभारी प्रचारी परिवहन शाखा, पुलिस लाईन कटिहार द्वारा रद्दी टायर ट्यूब एवं गाड़ी के स्क्रेच की निलामी हेतू दिनांक 7.12.10 को अनुरोध किया गया। जिसका निलामी प्रक्रिया अपनाकर दिनांक - 8.2.11 को 11.00 बजे पुलिस केन्द्र कटिहार के प्रांगण में जिला पुलिस अधीक्षक के पत्रांक 219 दिनांक 25.1.11 द्वारा 238 टायरों की निलामी का निर्णय लिया गया कि नीलामी हेत प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाए जिससे अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ती हो सके जिसका वायरलेस मैसेज निर्गत की गई तथा फलोट प्राईस मोटर यान निरीक्षक कटिहार द्वारा 264 टायरों का निर्धारण किया पाया गया, जिसका कुल कीमत 50,000.00 रूपये निर्धारण किया गया।

जाँच में पाया गया कि नीलामी की तिथि 08.02.11 को निर्धारण के बाबजूद नीलामी 9.2.11 को किया गया जबकि तिथि परिर्वतन का कोई सूचना प्रकाशित नहीं की गई तथा प्रभारी प्रचारी द्वारा 200 टायरों के निलामी हेतू अभियाचना की गई, मोटर यान निरीक्षक द्वारा 264 टायरों का फलोर प्राईस निधारण किया गया, जबकि पुलिस अधीक्षक द्वारा 238 टायरों का नीलामी आदेश प्राप्त था, परन्तु विक्रय - 264 टायरों का किया गया जो 26 टायर

अधिक है। साथ ही नीलामी हेतू प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन संबंधी साक्ष्य भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। फिर भी 25 संवेदकों का निलामी में उपस्थिति दिखाया गया पाया गया। जो नियमानूकूल एवं आदेश के विरूद्ध प्रतीत होती है। इसके बाबजूद भी मो0 मतीदर रहमान पूर्णिया द्वारा रूपये 60,000.00 में तीसरी बोली लगाकर दिनांक – 12.2.11 को 264 टायर प्राप्त किया तथा गाड़ी सं0 बी0 आर0 16 ए0 4585 द्वारा ढुलाई की गई पूर्ण विवरण निम्नवत् है।

रसीद सं0	आर0 सी0 न.	खरीदार का नाम	समान का नाम	राशि	भुगतान तिथि
0760581/ 23.2.11	1 (2) 11	मो0 मतीकर रहमान, पूर्णिया	264 टायर	60000.00	23.2.11

अतः टायर – टयूबों की नीलामी नियम एवं आदेश के प्रतिकूल पाया गया तथा अनुपालन भी संतोषजनक नहीं पाई गई।

अतः टायर – टयूबों की नीलामी नियमानुसार एवं आदेशानुसार की गई थी अथवा नहीं की जाँच प्रशासी विभाग द्वारा कराकर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तबतक रू0 60000.00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है तथा उच्चाधिकारियों को इस ओर विशेष आकृष्ट किया जाता है जिससे नियम अक्षर सह पालन हो सके। विवरण निम्न प्रकार है।

भाग – 3

(१) (क) अभिलेख का रख रखाव एवं संधारण के संबंध में :–

जाँच में अभिलेख का रख रखाव ठीक नहीं होने के कारण तथा आदेशों का संग्रह एवं उसका अक्षर सह पालन नहीं होने के कारण पुलिस बल की प्रतिनियुक्त के फलस्वरूप लम्बे समय से बड़ी राशि का वसूली नहीं हुई थी तथा बकाये राशि की वसूली हेतू कोई ठोस कार्यवाई भी नहीं की जा रही है। मुख्यालय कार्यालय द्वारा बार–बार निदेश प्राप्त होने के बाबजूद वसूली की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है तथा बकाये का कुल दावा वसूली गई राशि एवं शेष राशि की विवरणी अथवा डीमान्ड एण्उ कोलेक्सन रजिस्टर मांग करने पर अंकेक्षण मं प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही अंकेक्षण के अनुपालन में बताया गया कि पूर्व के पूराने अभिलेख सड़ गया है जो अपठनीय है तथा डीमान्ड एण्उ कोलेक्सन रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया है। जिसके कारण अंकेक्षण में कठिनाई का सामना करना पड़ा तथा बकाया का सत्यापन कार्य नहीं की जा सकी।

अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान अभिलेख के रख रखाव एवं संधारण पर विशेष रूप से आकृष्ट किया जा सकता है।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दरों का निर्धारण नहीं होने से राजस्व की क्षति के संबंध में :– राजस्व प्राप्तियों के अंकेक्षण के क्रम में पाया गया कि अंगरक्षक के प्रतिनियुक्ति के प्रतिपूर्ति कर का निर्धारण के 2003 में तथा 2012 में किया पाया गया, जिसके कारण राजस्व की क्षति हुई।

गृह आरक्षी विभागीय पत्रांक 2 बी0 एम0 101/91 का गृ0 आ0 2321 दिनांक 6.03.2003 की कंडिका 03 में विहित सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार समेकित दरों का संशोधन प्रतिवर्ष नहीं किया पाया गया एवं उक्त संकल्पानुसार ए0 सी0 पी0 एवं ए0 सी0 पी आधारित प्रतिपूर्ति हेतू समेकित दरों का निर्धारण नितिगत र्निणय अनुरूप र्निधारण एवं संसूचित नहीं किया पाया गया। फलतः प्रतिपूर्ति योग्य पुलिस राजस्व की भारी क्षति हुई।

अतः सरकार का ध्यान उपयुक्त पुलिस राजस्व के प्रति कार्यालय के क्रिया कलाप एवं सुरक्षबलों पर होनेवाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतू सुझाव है कि दरों का निर्धारण प्रतिवर्ष की जाए जिससे राजस्व की क्षति न हो सके।

(ग) बैट की राशि उचित शीर्ष में जमा करने का सुझाव :—

वर्ष 97—98 से 12—13 के राजस्व प्राप्तियों की जाँच में पाया गया कि पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक 6637 / टी0 दिनांक 8.10.07 बिहार, पटना के आलोक में पुरानी गाड़ियों की निलामी किया गया जिसपर बैट / विक्रीकर की कटौती दिनांक – 9.9.08 एवं 7. 1.13 को रूपये 25093.00 की गई थी, जिसका जमा की सत्यापन में पाया गया कि यह राशि रूपये 25093.00 बिक्रीकर जमा शीर्ष में न कर पुलिस शीर्ष 0055 में किया पाया गया। जो गलत है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में वैट / बिक्री कर की राशि विक्रीकर जमा शीर्ष में जमा की जाए। इसे दृढ़ता से पालन किया जाए। जिससे जमा शीर्ष का विचलन न हो तथा उचित मद के विकास में सहायक हो सके।

(घ) भण्डार का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना :–

भण्डार पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि भण्डार का भौतिक सत्यापन कमी नही किया गया था। जिसके कारण रसीद वही (R.C) का संधारण अदद में किया पाया गया। जबकि इसे रसीद वही के क्रमांक से क्रमांक सहित भण्डार प्रविष्टि की जानी चाहिए थी, जिससे स्पष्ट होता कि किस थाना या कार्यालय को कौन सा भौलूम निर्गत की गई, जिसका क्रमांक अंकित रहता जो नहीं किया पाया गया।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि भण्डार का भौतिक सत्यापन किसी सक्षम पदाधिकारी से कराकर वस्तु स्थिति को निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया जाए तथा कर्मी को रख रखाव का निदेश दिया जाए।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्त्ता का ह0
शिव नाथ कुमार प्रसाद, व0अं0-2

परिशिष्ट '' क ''

कंडिका 1 'ट' से संबंधित

(क) प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

(i)	रोकड़ पुस्त – वर्ष – 97–98 एवं 2012–2013 तक
(ii)	रसीद वही (आर सी0) वर्ष – 97–98 एवं 2012–2013 तक
(iii)	जिला सुरक्षा समिति बैठक की संचिका वर्ष – 02–03 से 03–04 तक एवं 10–11 से 11–13 तक
(iv)	चलान की कार्यालय प्रति एवं रेमिटांस पंजी वर्ष – 97–98 एवं 2012–2013 तक
(v)	बैंक में प्रतिनियुक्त मार्ग रसक दल के प्रतिनियुक्त संबंधि संचिका – 10–11 से 12–13 तक
(vi)	कमान रसीद की कार्यालय प्रति – 6.4.2000 से 3.4.2011 तक
(vii)	प्रतिनियुक्त पंजी – 01.01.05 से 20.4.2009 तक
(viii)	कोषागार अभिलेख – 03–04 से 12–13 तक
(ix)	दखलदेहानी / निलामी संचिका – 10–11, 11–12 एवं 12–13 तक

<u>(ख) अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–</u>

1. जिला सुरक्षा समिति बैठक की संचिका – 97–98 से 01–02 तक एवं 04–05 से 09–10 तक
2. दखलदेहानी / निलामी संबंधि संचिका 97–98 से 01–02 तक एवं 04–05 से 09–10 तक
3. अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पंजी – 97–98 से 04–05 तक
4. कमान रसीद की कार्यालय प्रति – 1.4.97 से 5.4.2000 तक
5. मांग एवं जमा पंजी –97–98 से 12–13 तक
6. कोषागार अभिलेख – 97–20002–03 तक
7. सहायक रोकड़ पुस्त – 97–98 से 12–13 तक

परिशिष्ट ''ख'' कंडिका 3 से संबंधित						
वर्ष 1997–98 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	69,023.00	69,023.00	69,023.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	69,023.00	69,023.00	69,023.00	0.00

वर्ष 1998–99 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	1,06,624.75	1,06,624.75	1,06,624.75	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	1,06,624.75	1,06,624.75	1,06,624.75	0.00

वर्ष 1999–2000 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	2,29,697.00	2,29,697.00	2,29,697.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	2,29,697.00	2,29,697.00	2,29,697.00	0.00

वर्ष 2000—2001 के आय व्यय जमा विवरणी :—

क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	1,28,663.00	1,28,663.00	1,28,663.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग —	0.00	1,28,663.00	1,28,663.00	1,28,663.00	0.00

वर्ष 2001–2002 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	0.00

वर्ष 2002–2003 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	13,412.00	13,412.00	13,412.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	47,444.00	47,444.00	47,444.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	61,364.00	61,364.00	61,364.00	0.00

वर्ष 2003–2004 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	5,557.00	5,557.00	5,557.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	2,41,761.00	2,41,761.00	2,41,761.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	2,47,318.00	2,47,318.00	2,47,318.00	0.00

वर्ष 2004–2005 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	1,427.00	1,427.00	1,427.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	7,07,405.00	7,07,405.00	7,07,405.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	7,08,832.00	7,08,832.00	7,08,832.00	0.00

)

वर्ष 2005–2006 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	74,520.00	74,520.00	74,520.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	50,554.00	50,554.00	50,554.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	1,25,074.00	1,25,074.00	1,25,074.00	0.00

वर्ष 2006–2007 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	1,49,084.00	1,49,084.00	1,49,084.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	3,20,970.00	3,20,970.00	3,20,970.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	4,70,054.00	4,70,054.00	4,70,054.00	0.00

)

वर्ष 2007–2008 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	1,46,373.00	1,46,373.00	1,46,373.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	1,46,373.00	1,46,373.00	1,46,373.00	0.00

वर्ष 2008–2009 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	77,096.00	77,096.00	77,096.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	1,55,352.00	1,55,352.00	1,55,352.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	1,26,000.00	1,26,000.00	1,26,000.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00
	कुल योग –	0.00	3,74,198.00	3,74,198.00	3,74,198.00	0.00

)

वर्ष 2009–2010 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	2,48,787.00	2,48,787.00	2,48,787.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	4,13,940.00	4,13,940.00	4,13,940.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	6,62,727.00	6,62,727.00	6,62,727.00	0.00

वर्ष 2010–2011 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	1,54,729.00	1,54,729.00	1,54,729.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	4,26,699.00	4,26,699.00	4,26,699.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	6,41,428.00	6,41,428.00	6,41,428.00	0.00

वर्ष 2011–2012 के आय व्यय जमा विवरणी :–

क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	2,12,646.00	2,12,646.00	2,12,646.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	5,15,132.00	5,15,132.00	5,15,132.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग –	0.00	7,31,368.00	7,31,368.00	7,31,368.00	0.00

वर्ष 2012–2013 के आय व्यय जमा विवरणी :–						
क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भण शेष	वर्ष में प्राप्त आय	कुल आय	कोषागार / अन्य रूप में जमा राशि	संवरण शेष
1	विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अंगरक्षक के क्षतिपूर्ति राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	विभिन्न बैंक / से स्थान में प्रतिनियुक्त मार्ग राशि बल की प्रतिपूर्ति राशि	0.00	4,12,096.00	4,12,096.00	4,12,096.00	0.00
3	निलामी से प्राप्त राजस्व	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00
4	दखल देहानी से प्राप्त राजस्व	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	0.00
5	विविध प्राप्तियाँ से प्राप्त आय	0.00	9,343.00	9,343.00	9,343.00	0.00
	कुल योग –	0.00	4,96,963.00	4,96,963.00	4,96,963.00	0.00

परिशिष्ट "ग" कंडिका 3 से संबंधित			
वर्ष वार रोकड़ पुस्त के प्रारम्भण एवं संवरण शेष की विवरणी :–			
क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भण शेष	संवरण शेष
1	1997 - 98	71463	300
2	1998 - 99	300	300
3	1999 - 2000	300	676
4	2000 - 01	676	300
5	2001 -02	300	2993
6	2002 -03	2993	300
7	2003 - 04	300	300
8	2004 -05	300	300
9	2005 - 06	300	300
10	2006 -07	300	300
11	2007 - 08	300	300
12	2008 -09	300	5000300
13	2009 - 10	5000300	3800800
14	2010 -11	3800800	3800300
15	2011 - 12	3800300	6530863
16	2012 - 13	6530863	98968

परिशिष्ट "घ" कंडिका 4 से संबंधित					
अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत एवं कार्यरत बलों की सूची :—					
क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	
1	पुलिस अधीक्षक	1	1	0	
2	ए० एस० पी०	0	1	0	
3	डी० एस० पी०	4	3	1	
4	सार्जेन्ट मेजर	2	1	1	
5	इन्पेक्टर	11	6	5	
6	सूवेदार	3	1	2	
7	सार्जेन्ट	5	0	5	
8	सब ई—पेक्टर	163	120	43	
9	सिविल जमादार	19	15	4	
10	ए० एस० आई०	135	84	51	
11	हवलदार	186	141	45	
12	सिपाही	1023	787	226	

परिशिष्ट ''ड़'' कंडिका ''5'' से संबंधित

पूर्व माननीय व्यक्तियों को जिला सुरक्षा समिति / सरकारी आदेश के द्वारा प्रतिनियुक्त अंगरक्षक के विरूद्ध प्रतिपूर्ति राशि रूपये 3776528.00 जमा नहीं करने के कारण वसूली योग्य की विवरणी :–

क्र० सं०	व्यक्ति का नाम/ पदनाम जिन्हें अंगरक्षक दी गई	प्रतिनियुक्त अंगरक्षक की सं0	प्रतिनियुक्त के आदेश सं0 एवं तिथि	अवधि / दिनों की सं0	समेकित दर प्रतिदिन	वसूली योग्य राशि	व्यक्ति सरकारी या गैर सरकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री दुलार चन्द्र गोस्वामी, पूर्व विधायक	अंगरक्षक –1	ज्ञापांक 2469/गो0 दिनांक 3.8.2000	2002-03 = 366 day	345/-	1,26,270.00	गैर सरकारी	बिहार सरकार गृह आरक्षी विभाग के पत्रांक 2/ बी0 एम0 101/91 गृ0 आ0 2321 दिनांक 6.3.03 के अनुसार समेकित प्रतिपूर्ति दर के आधार से।
2	श्री भोला राय, पूर्व विधायक	अंगरक्षक –1	पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (नि0) बिहार पटना के तंतु संवाद सं0 –6 / एल0 –2 दिनांक 23.1.2000 के माध्यम से।	2002-03 = 366 day	345/-	1,26,270.00	गैर सरकारी	

3	श्री मुबारक हुसैन, पूर्व विधायक	अंगरक्षक –1	–	2002-03 = 366 day	345/-	1,26,270.00	गैर सरकारी	
4	श्री महेन्द्र लाल यादव, पूर्व राज्य मंत्री	अंगरक्षक –1	जिला पुलिस अधीक्षक के ज्ञापांक 2469 गो0 दि0 3.8. 2000 के माध्यम से अंगरक्षक उपलब्ध किया गया।	2002-03 = 366 day	345/-	1,26,270.00	गैर सरकारी	
5	श्री करूणेश्वर सिंह, पूर्व विधायक	अंगरक्षक –1	,,	2002-03 = 366 day	345/-	1,26,270.00	गैर सरकारी	
6	श्री नरेश प्रसाद यादव, पूर्व राज्य सभा सदस्य	अंगरक्षक –1	,,	2002-03 = 366 day	345/-	1,26,270.00	गैर सरकारी	
7	श्री जाकिर हुसैन, जिला पार्षद कटिहार	अंगरक्षक –1	जिला परिषद अध्यक्ष होने के कारण जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन द्वारा उपलब्ध	2003-04 = 2003-04 = 366 day	345/-	126270/- 126270/-	गैर सरकारी	

8	श्री अशोक अग्रवाल, भारत पेट्रोल पम्प कटिहार	अंगरक्षक –1	काण्ड सं0 111/96 तथा 150 / 04 के आलोक में पुलिस प्र0 / जि0 प्र0 के द्वारा उपलब्ध	2002-03 = 366 day	345/-	1,26,270.00	गैर सरकारी	
						32,752.00		rc 8-3-03 Rs-32750.00
						93,518.00		
9	श्री अनिल कुमार चमरिया	अंगरक्षक –1	–	2002-03 = 366 day	345/-	1,26,270.00	गैर सरकारी	rc 6-10-02 Rs-2223.00
						11,115.00		rc 6-10-02 Rs-2223.00
						1,15,155.00		rc 6-10-02 Rs-2223.00
								rc 6-10-02 Rs-4446
								11,115.00

10	श्री रूवाजा शहीद, जिला पार्षद कटिहार	अंगरक्षक –1	पुलिस अधीक्षक (सु) विशेष शखा बिहार, पटना ज्ञापांक 4122 (4) वि0 शां0 दि0 11.4.02 एवं पु0 उप निदेशक ज्ञापांक 337 / गो0 के आलोक में।	2002-03 = 366 day	345/-	1,26,270.00	गैर सरकारी	rc 6-10-02 Rs-2223.00
						1,25,925.00		rc 6-10-02 Rs-2223.00
						2,52,195.00		Total - 4446
						4,446.00		
						2,47,749.00		
11	श्री मनोरंजन प्र0 सिंह, सेवा निवृत आयुक्त	अंगरक्षक –1	पी0 डी0 आर के तहत कार्रवाई की गई	2002-03 = 366 day	345/-	1,26,270.00	गैर सरकारी	ज्ञापांक 2321 दि0 6.3.03 के अनुसार प्रतिनियुक्त दर
12	सीता राम दास, पूर्व विधायक	अंगरक्षक –1	विशेष शखा के ज्ञापांक 552/03 दिनांक 12.8.03 के आलोक में।	2002-03 = 366 day	345/-	1,26,270.00	गैर सरकारी	ज्ञापांक 2321 दि0 6.3.03 के अनुसार प्रतिनियुक्त दर

13	श्री महेश पासवान, पूर्व विधायक	अंगरक्षक –1	जिला सुरक्षा समिति के ज्ञापांक 821 / दि0 20.3.10 के आलोक में।	24-1-10 to 31-3-10 = 796 day	1137/-	90,50,523.00	गैर सरकारी	बिहार सरकार गृह आरक्षी विभाग के पत्रांक 2/ बी0 एम0 105/2011 गृ0 आ0 551 दिनांक 13.1.12
14	श्री रामदेव प्रसाद यादव, श्री राम कंस्ट्रकसन विनोद कटिहार	अंगरक्षक –1	जिला सुरक्षा समिति के ज्ञापांक 821 / दि0 20.3.10 के आलोक में।	29-10-10 to 31-3-12 792/-	1137/-	9,00,504.00	गैर सरकारी	"
15	श्री राम प्रकाश महतो, पूर्व राज्य मंत्री	अंगरक्षक –1 अंगरक्षक –1		2002-03 = 366 day	345/-	1,26,270.00	गैर सरकारी	बिहार सरकार गृह आरक्षी विभाग के पत्रांक 2/ बी0 एम0 101/91 गृ0 आ0 2321 दिनांक 6.3.03
				2003-04 = 365 day	345/-	125925/-	गैर सरकारी	
						252195/-		
					कुल योग	3776528/-		

परिशिष्ट ''च'' कंडिका ''6'' से संबंधित						
अनाधिकृत रूप से नियम के विरूद्ध विहित सं0 बल से अधिक सरकारी अंगरक्षक रखने के कारण निर्धारित प्रतिपूर्ति की राशि की विवरणी :–						
क्र० सं०	व्यक्ति का नाम/ पदनाम जिन्हें अंगरक्षक दी गई	अवधि / दिनों की सं0	एक के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति अंगरक्षक की सं0	प्रतिपूर्ति की दर	वसूली योग्य राशि	अभ्युक्ति
1	श्री निखिल कु0 चौधरी, माननीय सांसद	2002-03 = 366 day	3	345 / दिन/ बल	3,78,810.00	बिहार सरकार गृह आरक्षी विभाग के पत्रांक 2/ बी0 एम0 101/91 गृ0 आ0 2321 दिनांक 6.3.03 के अनुसार समेकित प्रतिपूर्ति दर के आधार से।
		2002-03 = 365 day	2	345 / दिन/ बल	2,51,850.00	,,
2	श्री तारीक अनवर, पूर्व सांसद	2002-03 = 366 day	1	345 / दिन/ बल	1,26,270.00	,,
3	श्री हिमराज सिंह, तत्कालिन सांसद एवं राज्य मंत्री	2002-03 = 366 day	2	345 / दिन/ बल	2,52,540.00	,,

		2003-04 = 365 day	2	346 / दिन/ बल	2,51,850.00	,,
		2004-05 = 366 day	2	347 / दिन/ बल	2,51,850.00	,,
4	श्री राम प्रवेश महतो, शिक्षा मंत्री, बिहार पटना	2002-03 = 366 day	1	345 / दिन/ बल	1,26,270.00	,,
		2003-04 = 365 day	1	346 / दिन/ बल	1,25,925.00	,,
5	श्री महेश पासवान माननीय विधायक कटिहार	2002-03 = 366 day	1	345 / दिन/ बल	1,26,270.00	,,
		2003-04 = 365 day	1	345 / दिन/ बल	1,25,925.00	,,
6	श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय विधायक	2002-03 = 366 day	1	345 / दिन/ बल	1,26,270.00	,,
		2003-04 = 365 day	1	345 / दिन/ बल	1,25,925.00	,,
					22,69,755.00	